न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 209/2011 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री रूपा पिता हीरा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री वाला पिता हीरा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री डालू पिता नन्दा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री देवीलाल पिता भज्जा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. मु. लोगरी बेवा भज्जा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री शंकर पिता उदा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री गणेश पिता उदा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री कन्हैयालाल पिता उदा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री तुलसीराम पिता उदा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
8. मु. भूरी बेवा उदा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
9. श्री भंवरलाल पिता नारायण जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
10. मृतक मु. जेती बेवा नारायण जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर **(फोत होने से रेकार्ड से नाम हटाया गया।)**

11. श्री नाथू पिता लच्छा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री मोहन पिता हीरा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
13. श्री रामा पिता हीरा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
14. लोगर पिता भगा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
15. मु. देऊ बेवा भगा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
16. श्री लक्ष्मण पिता गोकल जी डांगी निवासी बडलिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
17. श्री बाबूलाल पिता भंवरलाल जी जैन निवासी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
18. श्री चन्द्रप्रकाश पिता लालचन्द जी जैन निवासी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 26–11–1997
प्रकरण सं0 211/1995 वाद

————

उपस्थित :–1–श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2–श्री श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

————/————

निर्णय **दिनांक 31–10–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–53

व 188 का दावा पेश करते हुए ग्राम वल्लभनगर के वादपत्र की कलम संख्या–1 में वर्णित आराजीयात के बाबत् निवेदन किया कि यह आराजीयात परिशिष्ठ **''क''** से **''घ''** तक की पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित आराजीयात होकर फेमिली सेटलमेन्ट से गत 10 वर्षो से मौके पर पक्षकारान काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा नहीं हुआ है। अतएव नियमानुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा करवाते हुए स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–8, 9 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12, 13 द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया। अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। वादी द्वारा साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1, डालू व डी.डब्ल्यू–2 भज्जा के बयान करवाने के बाद दिनांक 29–9–1997 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री करते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने के लिए आदेश पारित किये। प्रकरण मं राजस्व कार्मिकों से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–11–1997 को प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 26–11–1997 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 8, 9 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–10–2011 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का एक आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 27–9–2011 को रेस्पोन्डेन्ट द्वारा विवाद करने पर उन्हें प्रकरण मे 26–11–1997 के निर्णय की जानकारी हुई। अतएव अन्दर जानकारी मयाद अपील प्रस्तत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–8–1995 से जारी तारीख पेशी दिनांक 11–9–1995 के नोटिस की व्यक्तिगत तामिल हुई है एवं इसी कारण दिनांक 14–12–1996 को अधिनस्थ न्याालय द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 6, 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतिम डिक्री

दिनांक 26–11–1997 के विरूद्ध इस प्रमुख आधार पर पेश की गई है कि विभाजन प्रस्ताव के समय उन्हें सूचित नहीं किया गया तथा मौका अनुसार बंटवारा नहीं किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वर्ष 1995 में पेश शुदा उक्त वाद के सम्मन तारीख पेशी दिनांक 11–9–1995 के अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से तामिल शुदा रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29–9–97 को जारी की गई है तथा दिनांक 26–11–1997 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जिसमें पटवारी द्वारा सुस्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि–*''वादी एवं प्रतिवादी के मध्य रेकार्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा सूची तैयार की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। उक्त बटवारा बीस वर्षो पूर्व आपसी कर लेना मौके पर बताया है''*।

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है तथा आश्चर्यजनक रूप से प्रकरण में इजराय का आदेश भी दिनांक 22–12–1997 को जारी हो चुका है। अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–11–1997 से मयाद अवधि 25–01–1998 होती है, जबकि अपील दिनांक 18–10–2011 को पेश की गई है। किसी भी सामान्य विवेक से अथवा अन्यथा भी यह सुपाच्य नहीं है कि किसी खातेदार को 23 वर्षो तक संयुक्त खाते के स्थान पर विभाजन की जानकारी ही नहीं हो। दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन में जो कारण लिखे गये है, वे उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। अतएव 23 वर्षो के मयाद कण्डोन किये जाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं होने से इतनी लम्बी अवधि की मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–1997 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री रूपा पिता हीरा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर अन्य–1	बनाम	**1– श्री डालू पिता नन्दा जी डांगी निवासी भोपालपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर अन्य–17 व सरकार**

अपील नं0 **209/2011** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**वल्लभनगर** .....मुकाम मुर्क्खे.....**26**.....माह.....**11**.....**1997**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**31**..... माह .....**10**..... सन् .....**2017** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री ओंकारलाल डांगी**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पंकज भटनागर** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–1997 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**31**..... माह .....**10**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।